

## प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक - 02.09.2026

**सर्विलांस/कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आए 03 अभियुक्तों व 01 बाल अपचारी को चोरी किए गए माल सहित किया गया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आए अभियुक्तों 1.आशू पुत्र प्रदीप सिंह 2. पप्पू मंडल पुत्र होरेन मंडल 03.सन्दीप पुत्र शिवराम सिंह 4. 01 बाल अपचारी को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. आशू पुत्र प्रदीप सिंह निवासी गंगा दरवाजा टूटी पुलिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
2. पप्पू मंडल पुत्र होरेन मंडल निवासी कुलेसरा थाना ईकोटेक 03 जनपद गौतमबुद्ध नगर नोएडा
3. सन्दीप पुत्र शिवराम सिंह निवासी खानपुर टूटी पुलिया गंगादरवाजा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
4. 01 बाल अपचारी

### अभियुक्त सन्दीप से

01. 04 चूड़ियाँ पीली धातु व 02 चूड़ी नगदार सफेद धातु
02. 01 हार पीली धातु
03. 02 अंगूठी
04. 01 मोती हार व 01 गले का सेट
05. 01 घड़ी पीली धातु
06. 01 मोती चेन पीली धातु
07. 04 जोड़ी कान के कुण्डल पीली धातु
08. 05 अंगूठी पीली धातु
09. 01 एंड्राइड मोबाइल व 4500 रुपये नगद

### बाल अपचारी से

01. 02 हार पीली धातु
02. 06 चूड़ी पीली धातु व 04 कंगन व 01 कड़ा सफेद धातु
03. 05 अंगूठी पीली धातु
04. 02 मोती माला पीली धातु
05. 02 चेन पीली धातु
06. 01 इलैक्ट्रॉनिक तराजू व 3320 रुपये नगद

### अभियुक्त आशु पुत्र प्रदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 181/26 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

### अभियुक्त पप्पू पुत्र हारुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

2. मु0अ0सं0- 181/26 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

### अभियुक्त सन्दीप पुत्र शिवराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

3. मु0अ0सं0- 181/26 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

### बाल अपचारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

4. मु0अ0सं0- 181/26 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री सन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम

### गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम:-

- |                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| 01. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह गहलोत | 02. उ0नि0 श्री अंकुर भाटी |
| 03. उ0नि0 श्री बृजनन्दन                   | 04. का0 ईशु कुमार         |
| 05. का0 मलिखान                            | 06. का0 शिवम छौकर         |
| 07. का0 सज्जन सिंह                        | 08. रि0का रामू            |
| 09. म0का0 प्रियका चौधरी                   |                           |

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 31.08.2026 को कोतवाली फर्रुखाबाद पर वादी मुकदमा श्री राजेश भान साध पुत्र स्व0 केसर भान साध निवासी 2/29 साहबगंज कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर में घुसकर चोरी करने के सम्बन्ध में दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 181/2026 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्तों 1. आशू पुत्र प्रदीप सिंह उपरोक्त 2. पप्पू मंडल पुत्र होरेन मंडल उपरोक्त 3. सन्दीप पुत्र शिवराम सिंह उपरोक्त 4. बाल अपचारी उपरोक्त को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**बरामदगी का विवरण:-**

**अभियुक्त आशू से**

01. 04 चूड़ी पीली धातु
02. 02 कंगन पीली धातु
03. 02 कड़े पीली धातु
04. 01 हार पीली धातु
05. 02 हार मोती के
06. 02 कान के झुमके
07. 01 एंड्राइड मोबाइल व 4000 रुपये नगद

**अभियुक्त पप्पू मंडल से**

01. 04 हार मोती नग
02. 03 चेन पीली धातु
03. 01 हार पीली धातु
04. 04 कंगन व 02 कड़े पीली धातु
05. 06 अंगूठी पीली धातु ( 02 चेन से जुड़ी)
06. 01 घड़ी पीली धातु
07. 11 चूड़ियाँ (कांच व नगदार सफेद धातु)
08. 02 हार घुंघरू दार पीली धातु
09. 01 ब्रसलेट पीली धातु
10. 01 चेन पीली धातु
11. 01 जोड़ी कान के टॉप्स सफेद धातु
12. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
13. 02 चूड़ी पीली धातु
14. 01 सिक्का पीली धातु
15. 01 लाग चेन पीली धातु
16. 3000 रुपये नगद

## प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक -02.09.2026

थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तों को चोरी गये माल 01 जंजीर पीली धातु, 01 गले का हार पीली धातु, 01 जोड़ी कान के झाले पीली धातु, 01 मांग बेन्दी पीली धातु, 03 अगुंठी पीली धातु, 03 पायल सफेद धातु, 01 हाफ पेटी सफेद धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 3500 रुपये नगद आदि सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 277/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.विशेषांक उर्फ हिमांशू पुत्र हरिओम गंगवार 02. अर्जुन सिंह पुत्र राधेश्याम 03.अक्षय कुमार पुत्र वीरपाल सिंह 04. सचिन शंखवार पुत्र ओमबाबू को गिरफ्तार कर चोरी गये माल को बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 01.विशेषांक उर्फ हिमांशू पुत्र हरिओम गंगवार निवासी मो0 शास्त्रीनगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
02. अर्जुन सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी नई बस्ती थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
- 03.अक्षय कुमार पुत्र वीरपाल सिंह निवासी हरदेवनगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
04. सचिन शंखवार पुत्र ओमबाबू निवासी मो0 अम्बेडकर नगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 31.08.2026 को वादिनी श्रीमती प्रीती पत्नी सुधीश कुमार निवासी मो0 शास्त्री नगर कस्बा व थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के घर में चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 277/2026 धारा 305(a) B.N.S बनाम वाइस्तवा हिमांशू पुत्र हरिओम निवासी मो0 शास्त्री नगर कस्बा व थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.विशेषांक उर्फ हिमांशू उपरोक्त 2. अर्जुन सिंह पुत्र राधेश्याम उपरोक्त 3.अक्षय कुमार पुत्र वीरपाल सिंह उपरोक्त 4. सचिन शंखवार पुत्र ओमबाबू उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर चोरी किए गए माल सहित गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **बरामदगी का विवरण:-**

#### **अभियुक्त विशेषांक उर्फ हिमांशू से**

- 01. 01 जंजीर पीली धातु
- 02. 02 अदद अंगूठी पीली धातु
- 03. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 04. 1000 रुपये नगद

#### **अभियुक्त अर्जुन सिंह से**

- 01. 01 गले का हार पीली धातु
- 02. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 03. 1100 रुपये नगद

#### **अभियुक्त अक्षय कुमार से**

- 01. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 02. 01 जोड़ी कान के झाले पीली धातु
- 03. 800 रुपये नगद

#### **अभियुक्त सचिन शंखवार से**

- 01. 01 मांग बेन्दी पीली धातु
- 02. 01 अंगूठी पीली धातु
- 03. 01 हाफ पेटी सफेद धातु
- 04. 01 सिक्का सफेद धातु
- 05. 600 रुपये नगद

### **अभियुक्तगण विशेषांक उर्फ हिमांशू, अक्षय कुमार, सचिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

- 01. मु0अ0सं0 277/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कमालगंज

#### **अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास---**

- 01. मु0अ0सं0 277/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कमालगंज
- 02. मु0अ0सं0 54/2024 धारा 323/504 भादवि थाना कमालगंज
- 03. मु0अ0सं0 04/2025 धारा 13 जी0 एक्ट थाना कमालगंज

04. मु0अ0सं0 356/2025 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/352 भादवि थाना कमालगंज

**गिरफ्तार/बरामद करने वाली कमालगंज पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम सहाय सिंह
2. उ0नि0 कल्लू प्रसाद यादव
3. उ0नि0 महेन्द्र सिंहमय हमराह
4. हे0का0 ब्रजेश कुमार ,
5. हे0का0 सन्तोष कुमार ,
6. का0 रिकू चाहर ,
7. का0 तेजवीर सिंह
8. का0 हिमांशू

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**